नम्बर
अहका
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 25/2021 प्रार्थनापत्र

अनवान

1.गेहरी लाल दत्तक पुत्र नंगजीराम महाजन आयु व्यस्क निवासी बेमाली तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.बाबू लाल पुत्र रोशनलाल महाजन आयु व्यस्क निवासी बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. श्री मुकेश जैन — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार लखारा — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक 09.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 [illegible] आराजी नं0 3743/2435

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदे...
सहायक कलक्टर करे...

रकबा 0.1391 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड़ है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि बेमाली – बागोर आम रोड़ आराजी नं0 2440 से होकर विपक्षी संख्या 01 के आराजी नं0 3742/2435 रकबा 0.4047 है. की उत्तरी मेड़ से होकर अपनी आराजी 2435 व 3743/2435 में आता–जाता है। जिसमें प्रार्थी अपनी बेलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि अपने पूर्वजों के समय से लाता लेजाता है जो गाड़ी गडार रास्ता बना हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगण की नियत में फितुर आने से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करते है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड़ नक्शें में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 2435 रकबा 0.2909 ह0 आराजी नं0 3743/2435 रकबा 0.1391 है0 भूमि में आने–जाने हेतु बेमाली – बागोर आम रोड़ आराजी नं0 2440 से होकर विपक्षी संख्या 01 के आराजी नं0 3742/2435 रकबा 0.4047 है. की उत्तरी मेड़ से होकर अपनी आराजी नं0 2435 व 3743/2435 में आता जाता में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारत मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 08.02.2021 को विपक्षी संख्या 01 बावजदू सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए। भू0अ0निरीक्षक बेमाली से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.03.2021 को अधिकार पत्र मय दो तरफा सुनवाई का प्रार्थनापत्र मय जवाब पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दो तरफा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही की। प्रकरण में विपक्षी ने जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करता है उतना ही रकबा प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 को देता है तो विपक्षी संख्या 01 उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर सहमत है। एवं प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उतना ही रकबा जो रास्ते के रूप में प्राप्त कर रहा है विपक्षी संख्या 01 को देने पर सहमत है। अतः प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 केसहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 2435 रकबा 0.2909 ह0 आराजी नं0 3743/2435 रकबा 0.1391 है0 भूमि में आने-जाने हेतु बेमाली - बागोर आम रोड़ आराजी नं0 2440 से होकर विपक्षी संख्या 01 के आराजी नं0 3742/2435 रकबा 0.4047 है. की उत्तरी मेड़ से होकर आने-जाने का एकमात्र रास्ता होने से मौका रिपोर्ट अनुसार 15 फीट चौड़ाई का रास्ता (1237.50 वर्ग फीट अर्थात लगभग 01 बिस्वा) राजस्व रेकार्ड़ में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा को प्रार्थी से भूमि का प्रतिकर (1237.50 वर्ग फीट अर्थात लगभग 01 बिस्वा) उतनी ही भूमि प्रार्थी के आराजी नं. 2435 के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की लम्बाई का टुकड़ा रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर खाते से कम कर विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तरमीम में तदनुसार संशोधन किया जावे। उक्तानुसार तहरीर तहसीलदार करेड़ा को जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा, भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested